

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in


= आदेश =

भोपाल, दिनांक /11/2019

क्रमांक/बजट/2019-20/ संचालनालय के आदेश क्रमांक/पं.रा./
निर्माण-155/2019/15823-24, दिनांक 15.11.2019, क्रमांक/पं.रा./ निर्माण-62/2019/
14798-99, दिनांक 05.11.2019, क्रमांक/पं.रा./ निर्माण-151/2019/14935-36, दिनांक
08.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-76/2019/15754-55, दिनांक 14.11.2019, क्रमांक/
पं.रा./निर्माण-148/2019/14933-34, दिनांक 08.11.2019, क्रमांक/पं.रा./
निर्माण-150/2019/14812-13, दिनांक 05.11.2019, से पुलिया, आंगनवाड़ी, सामुदायिक
भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड़, पंचायत भवन, स्टापडेम, स्टेडियम निर्माण, की प्रथम/द्वितीय
किश्त स्टाम्प शुल्क मद से जिला पंचायतों को जारी किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के
अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना क्रमांक-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद
में विभाग को जारी आवंटन से राशि रूपये 59209800/- (राशि रूपये-पाँच करोड़-
बयानवे लाख नौ हजार आठ सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती
है।

उक्त व्यय मांग संख्या-53-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज
संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायत को सहायता}-योजना क्रमांक-
(4610)-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-0101-सामान्य-#42-सहायक
अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को
समनुदेशन, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार जिला पंचायतों के बैंक खाता में
राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।
(आयुक्त द्वारा आदेशित)


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांक/क्रमांक/बजट/2019-20/16195
प्रतिलिपि :-


भोपाल, दिनांक 23/11/2019

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ।

निरंतर...

// 02 //

7. संयुक्त संचालक(निर्माण) पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/पं.रा./निर्माण-155/2019/15823-24, दिनांक 15.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-62/2019/14798-99, दिनांक 05.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-151/2019/14935-36, दिनांक 08.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-76/2019/15754-55, दिनांक 14.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-148/2019/14933-34, दिनांक 08.11.2019, क्रमांक/पं.रा./निर्माण-150/2019/14812-13, दिनांक 05.11.2019, के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मुख्यालय की ओर एक अतिरिक्त प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना क्रमांक-4610(197)0101-स्टाम्प शुल्क मद से पुलिया, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, घाट निर्माण, सी.सी.रोड़, पंचायत भवन, स्टापडेम, स्टेडियम निर्माण, की प्रथम/द्वितीय किश्त का जिला पंचायतों को अंतरण

(राशि रूपये में)

S No.	District Name	Account No	IFSC Code	Amount
1	BURHANPUR	'953210210000022	BKID0009532	5968800
2	DATIA	'1935000104142194	PUNB0193500	2205400
3	GWALIOR	'3530925114	CBIN0280786	10825600
4	JABALPUR	'3618676817	CBIN0280744	6369200
5	PANNA	'36965883129	SBIN0000447	22516000
6	SIDHI	'6424000100057777	PUNB0642400	11324800
योग(राशि-पाँच करोड़ बयानवे लाख नौ हजार आठ सौ मात्र)				59209800

संयुक्त संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल